UPBB01-000593-2026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–01, बाराबंकी।

उपस्थितः विनय कुमार सिंह–III (उच्चतर न्यायिक सेवा)
JO Code-UP 6068

फौजदारी निगरानी संख्या–24/2026

गायत्री, आयु करीब–44 वर्ष, पत्नी–हीरालाल, निवासिनी–ग्राम नई बस्ती मजरे कोला गहबड़ी, थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी।

.....निगरानीकर्ती

बनाम

1–जुगुल किशोर, आयु करीब वर्ष, पुत्र–श्रवण कुमार, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी।
2–पम्मू द्विवेदी, आयु करीब वर्ष, पुत्र–अज्ञात मो0 नं0–8953832068, 7007808503 निवासी ग्राम–बरैया चौराहा, थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी।
3–सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0), बाराबंकी।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. निगरानीकर्ती गायत्री द्वारा जुगुल किशोर आदि के विरूद्ध फौजदारी निगरानी संख्या–24/2026, अन्तर्गत धारा–438, 440 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद संख्या–2311/2025 गायत्री बनाम जुगुल किशोर आदि में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–18, बाराबंकी द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 05.01.2026 से व्यथित होकर संस्थित किया गया है।

2. मामले के **सुसंगत तथ्य संक्षेप** में निम्न प्रकार हैं कि, निगरानीकर्ती गायत्री द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी के पुत्र शिवा उर्फ शिवम पर लड़की भगाने के सम्बन्ध में मुकदमा लिखा गया था और मेरा पुत्र जेल चला गया। उसके बाद मेरे घर दलाल जुगुल किशोर पुत्र श्रवण कुमार निवासी दौलतपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी व पम्मू द्विवेदी पुत्र अज्ञात मोबाइल नं0–8953832068, 7007808503 निवासी ग्राम बरैया चौराहा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी, मे मौरंग गिट्टी की दुकान चलाता है, मेरे घर नई बस्ती आये और कहा कि गायत्री आपका लड़का सुना है कि लड़की भगाने के

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.28 15:44:30 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ,Court No.01,Barabanki.

सम्बन्ध में जेल चला गया है। मैं आपके लड़के को थाना से छुड़वा दूंगा तुम मुझे एक लाख पन्द्रह हजार रूपये दो। इसके बाद प्रार्थिनी ने पम्मू द्विवेदी को साठ हजार रूपये नगद दिया व जुगुल किशोर को पचपन हजार रूपये नगद दिया और कहा कि आपका लड़का पांच छः दिन में घर आ जायेगा। तो प्रार्थिनी ने अपनी भैस बेंच कर और ब्याज पर रूपया लिया और बहू की जेवर व बहन की जेवर पम्मू द्विवेदी व जुगुल किशोर को दिनांक 05.02.2025 को एक लाख पन्द्रह हजार रूपया दिया था। उसके बाद जब प्रार्थिनी का लड़का नही छूटा तो प्रार्थिनी ने रूपया वापस मांगा तो गाली देने लगे और दिनांक 20.08.2025 को समय करीब 6 बजे शाम को गाली देते हुए रूपये वापस न करने की बात कही और कहा जो करना हो कर लो। उक्त घटना की शिकायत दिनांक 22.08.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी को किया जिसके बाद दिनांक 01.09.2025 को पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी को किया इसके बाद विपक्षी ने 20,000/–रू० जरिये चेक वापस किया, बाकी पैसा नही दिया। दिनांक 10.09.2025 को समय करीब 4 बजे शाम विपक्षी पम्मू द्विवेदी ने प्रार्थिनी को धमकी दिया और कहा कि इस सम्बन्ध में शिकायत किया तो जान से मार देंगे। मेरी थाने पर पहुंच है और कही ज्यादा प्रार्थना पत्र दिया तो तुमको फर्जी मुकदमें में फंसा देगें। तुम्हे जो करना हो कर लो मैं तुम्हारा रूपया वापस नही करूंगा। प्रार्थिनी द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनरीक्षणकर्त्री ने क्षुब्ध होकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं० 18 बाराबंकी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया था। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2026 को निरस्त कर दिया जो कि न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

3. **निगरानी में निम्नलिखित आधार** लिये गये हैं कि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.01.2026 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का अवलाकन न करके आदेश पारित करने की भूल की है। विपक्षीगण एक व दो ने निगरानीकर्ती के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी करके रूपया ले लिया है जिसे बार बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किया और शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई जिस बात को विचारण न्यायालय

ने संज्ञान मे न लेकर आदेश पारित करने मे भूल की है। विचारण न्यायालय ने मामले में संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना साबित व प्रमाणित नहीं हो रहा है मानने मे गलती की है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती का प्रथम दृष्टया केस नहीं बन रहा है को मानते हुये प्रार्थनापत्र खारिज करने में भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से निगरानीकर्ती न्याय पाने से वंचित हो रही है। अतः न्यायालय से प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकत्री का विनम्र अनुरोध है कि विचारण न्यायालय से उपरोक्त वाद से सम्बन्ध पत्रावली को तलब कर आक्षेपित आदेश दिनांक 05.01.2026 को निरस्त कर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 17 3(4) बी0एन0एस0एस0स्वीकार करने की कृपा करे।

4. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता एवं उ.प्र. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा एवं विपक्षी संख्या– 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आक्षेपित आदेश दिनॉकित 05.01.2026 इस प्रकार निष्कर्षित किया गया है कि;

> ''पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित हो रहा है कि पैसे के लेनदेन के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज पत्रावली के साथ उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ आवेदिका का स्वयं का कथन है कि अपने पुत्र को जेल से छुड़वा देने के उद्देश्य से अर्थात अवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रार्थिनी द्वारा उक्त पैसे के लेनदेन की बात कही गयी हैं जो कि स्वयं में ही अविधिक है।
>
> उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० के पाठन मात्र से ही उसके तथ्य एबसर्ड (Absurd) एवं विधि प्रक्रिया के दुरुपयोग करने वाला परिलक्षित हो रहे हैं जिसको अग्रसारित किया जाना न्यायालय के मत में उचित व न्याय–संगत प्रतीत नहीं होता है।
>
> **उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय**

इलाहाबाद की विधि व्यवस्था हरीशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य फौजदारी रिवीजन संख्या 66/2020 निर्णय दिनांकित 09.01.2020 इलाहाबाद उच्च न्यायालय सादर अनुप्रयोज्य है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निम्न विधि व्यवस्थाओं को उद्धरित किया है:—

1. **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए०सी०सी० 2007 (69) ए.सी.सी. पेज**

2. **739 इलाहाबाद। फादर थामस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 सी. आर. एल. जे. 2278 इलाहाबाद।**

3. **रामबाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए.सी.सी 50 इलाहाबाद।**

4. **मासूमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (1) ए.एल.जे. 221**

को उद्धरित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इले तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष आकर किसी के भी विरुद्ध लोग दाण्डिक वाद प्रारम्भ करने लगे। न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर अत्यन्त ही सावधानी पूर्वक विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए।

अहमद अली कुरैशी बनाम उत्तर प्रदेश 2020 (1) काइम्स 134 माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण निर्णय **विनीत कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (13) प (13) एस.सी.सी. 369 एस.सी.** उद्धरित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रार्थना पत्र धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को पढ़ने से ही वह असद्भावना पूर्ण प्रकट हो रहा है और प्रथम दृष्टया केस नहीं बन

रहा है तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० खारिज कर दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के पढ़ने मात्र से ही विपक्षीगण द्वारा किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना साबित व प्रमाणित नहीं हो रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था कैलाश विजय वर्गीय एवं अन्य बनाम राज लक्ष्मी चौधरी फौजदारी अपील संख्या 1582/2021 निर्णय दिनांकित 04.05.2023 में भी उक्त विचार को ही विनिश्चियित किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका गायत्री द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 173 (4) बी०एन०एस०एस० खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए। ''

6. प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, प्रार्थिनी के पुत्र शिवा उर्फ शिवम के विरूद्ध लड़की भगाने के सन्दर्भ में मुकदमा लिखा गया था, <u>जिसमें वह जेल चला गया</u>। उसके बाद प्रार्थिनी के घर कथित दलाल जुगुल किशोर व पम्मू द्विवेदी आये और कहा कि,''<u>मैं आपके लडके को थाने से छुडवा दूंगा तुम मुझे एक लाख पन्द्रह हजार रूपये दो</u>।'' इसके बाद प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 05.02.2025 को पम्मू द्विवेदी को साठ हजार रूपये नकद व जुगुल किशोर को पचपन हजार रूपये नकद दिया गया। उनके द्वारा उसके लड़के को 5–6 दिन बाद घर वापस

आ जाने को कहा गया। उसके बाद प्रार्थिनी का लड़का जब जेल से नहीं छूटा तो प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 20.08.2025 को रूपया वापस मांगने पर उन्होंने रूपये वापस ना करने की बात कही। घटना की शिकायत दिनांक 22.08.2025 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को किया उसके बाद विपक्षी द्वारा 20,000/—रूपये जरिये चेक वापस किया किन्तु बाकी पैसा नही दिया गया। इस सन्दर्भ में उसके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिसे कि विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 05.01.2026 में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर तथा समस्त विवेचन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर कि, प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी द्वारा अवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त पैसे को कथित विपक्षीगण को देने एवं प्रार्थनापत्र के आधार पर किसी संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना साबित और प्रमाणित ना पाते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया।

7.1 प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थनापत्र से ही स्पष्ट है कि, प्रार्थिनी द्वारा जो उक्त धनराशि दी गयी है, वह लड़की भगाने के जुर्म में जेल में निरूद्ध अपने पुत्र को छुड़वाने के लिए कथित रूप से दलाल विपक्षीगण को दी गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी द्वारा उक्त धनराशि अनुचित उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के सन्दर्भ में कथित रूप से बतौर दलाल विपक्षीगण को दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थिनी के स्वयं के अवैधानिक कार्यो के आधार पर प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित व प्रमाणित नहीं होता है, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी निष्कर्षित किया गया है।

7.2 अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विचारण न्यायालय द्वारा वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में, यह निगरानी न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आक्षेपित आदेश दिनॉकित 05.01.2026 को पारित करने में विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं की गयी है जिससे कि उक्त आक्षेपित आदेश की शुद्धता, वैधता अथवा औचित्य दूषित अथवा विधि विरुद्ध प्रतीत होता हो, जिसके परिणामस्वरूप इस निगरानी न्यायालय का हस्तक्षेप वांछनीय हो। तद्नुसार निगरानीकर्ती की प्रस्तुत

निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है, परिणामस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आक्षेपित आदेश दिनॉकित 05.01.2026 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार निगरानीकर्ती की प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 24/2026, गायत्री बनाम जुगुल किशोर आदि, निरस्त किया जाता है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित 05.01.2026 पुष्ट किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को सूचनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाए। सम्बन्धित लिपिक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही फौजदारी निगरानी की पत्रावली एवं अभिलेखागार से तलबशुदा मूल पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर सत्र न्यायाधीश
दिनांक 28.07.2026 न्यायालय संख्या–01,बाराबंकी।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(विनय कुमार सिंह–III)
JO Code-UP 6068
अपर सत्र न्यायाधीश
दिनांक 28.07.2026 न्यायालय संख्या–01,बाराबंकी।